उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक **महरंग उरॉव वगै0**

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129) **बनाम**

हिण्डालको ली0

आदेश फलक तारीख............से.............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–18/**2014–15**

वाद का प्रकार :– अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री महरंग उरॉव

2 गोबर्धन उरॉव पिता– स्व0 बिजु उरॉव

3 मो0 रुपाइन उरॉव पति–स्व0 लाल उरॉव

सभी ग्राम– कुजाम थाना– विशुनपुर जिला–गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49 के अंतर्गत् अपने स्वामित्त्व के निम्नांकित भूमि **को हिण्डालको इंडस्ट्रीज ली0** लोहरदगा जिला– लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षो की लीज में देने के लिये अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया हैं :–

क्र0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (ए0 में)
1.	कुजाम	42	42	1116	2.40
	कुल			1	2.40

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी विशुनपुर से स्थलीय जॉच कर तीन बिन्दुओ पर प्रतिवेदन की मॉग की गई, जो निम्नवत है:–

1 अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बॉक्साईड खनन क्षेत्र के अगल बगल के रैयत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होगें।

2 खनन हेतु प्रस्तावित भूमि के चौहदीदारों का कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नही है, परन्तु उनका NOC भी प्राप्त नही है।

3 कम्पनी के द्वारा जहॉ खनन का कार्य किया जाएगा वहा कम्पनी के द्वारा किसी प्रकार का सामुदायिक हित में Noble Work करने का कोई प्रस्ताव अंचल कार्यालय को प्राप्त नही है।

अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा स्पष्ट मंतव्य दिया गया है कि उपरोक्त खाता की जमाबंदी में प्लॉट दर्ज नही है। उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर बटवारे से संबंधित दस्तावेज की मांग आवेदकगण से की गई परन्तु आवेदकों के द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया। अंचल अधिकारी विशुनपुर के द्वारा उपरोक्त परिपेक्ष्य में लीज अनुमति नही देने की अनुशंसा की गई है।

अतः अंचल अधिकारी बिशुनपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में [illegible] वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका

उपायुक्त,
दुमका

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.28 17:31:55 +05:30
Location: 192.168.1.49